



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ०राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 126/14

निर्णय दिनांक:- 04.06.2018

1. मंजूर खॉ पुत्र मेरू खॉ जाति मुसलमान निवासी सतासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20-03-2013
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थित:-

1. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 20-03-2013 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही ग्राम सत्तासर के खेत खसरा नम्बर 195 तादादी 20 बीघा बारानी संवत् 2024 से अपीलांट वादी के पिता मेरू खॉ के नाम से आवंटित की गई थी जिस पर आवंटन की दिनांक से

आज दिनांक तक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी धोषणा करवाने का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट द्वारा अपने दावे के समर्थन में राजस्व गिरदावरी संवत् 2030 से 2033 एवं गिरदावरी संवत् 2034 से 2037 प्रस्तुत की गई जिसमें वादी के पिता मेरू खॉ के नाम से वादगत् भूमि का पट्टा नं. 18 दिनांक 12-06-1974 को मंजूर हुआ है का नोट अंकित है तथा इस दस साला आवंटन का संवत् 2037 तक नवीनीकरण भी किया हुआ है। जिसका आगे की गिरदावरियों में अंकन नहीं हुआ है। अर्थात् बिना किसी सक्षम आदेश के वादगत् भूमि को आराजीराज दर्ज किया गया है। जिसे दुरुस्त कराने का अधिकारी अपीलांट है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट अपने पिता की आवंटित भूमि को सक्षम धोषित कराने का वादीगण ने दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जो दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट आवंटन नियमों के तहत खातेदारी प्राप्त कर सकता है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट के पिता को आवंटित भूमि थी जिसकी धोषणा हेतु धोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के पिता के नाम आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य लिये गये। अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि वाके रोही ग्राम सत्तासर के खेत खसरा नम्बर 195 तादादी 20 बीघा की धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि अपीलांट के पिता मेरू खॉ पुत्र वादे खॉ को बतौर टीसी आवंटन थी। उक्त टीसी आवंटन का नवीनीकरण संवत् 2035 तक किया गया तदुपरान्त वादगत् भूमि का नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। वादगत् भूमि का टीसी से पुख्ता आवंटन नहीं करवाये जाने के कारण वादगत् भूमि का टीसी आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। यदि वादगत् भूमि पर मौके पर अपीलांट काबिज होता तो उसके विरुद्ध धारा 22 के तहत कार्यवाही की जाती।

चूंकि वादगत् भूमि मौके पर खाली है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि आराजीराज दर्ज की गई है। वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना-देना नहीं है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि की टीसी आवंटन संवत् 2035 से नवीनीकरण नहीं होने के कारण व कब्जे काश्त के अभाव में अपीलांट का दावा खारिज किया गया है। जो सही है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक रिकार्ड दुरुस्ती व प्राप्त करने चिर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वाके रोही ग्राम सत्तासर तहसील छत्तरगढ़ के खसरा

नम्बर 195 की 20 बीघा भूमि बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट/वादीगण के पिता को वाके रोही ग्राम सत्तासर के खेत खसरा नम्बर 195 तादादी 20 बीघा बारानी संवत् 2024 में आवंटित की गई थी जिस पर आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जिसकी धोषणा करवाने का दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

अपीलांट द्वारा अपने दावे के समर्थन में राजस्व गिरदावरी संवत् 2030 से 2033 एवं गिरदावरी संवत् 2034 से 2037 प्रस्तुत की गई जिसमें वादी के पिता मेरू खों के नाम से वादगत् भूमि का पट्टा नं. 18 दिनांक 12-06-1974 को मंजूर हुआ है का नोट अंकित है तथा इस दस साला आवंटन का संवत् 2037 तक नवीनीकरण भी किया हुआ है। वादगत् भूमि अपीलांट/वादीगण के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है। चूंकि उक्त भूमि वादीगण/अपीलांट के पिता को संवत् 2024 में टीसी आवंटन थी तथा मौके पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है जिसकी धोषणा करवाने का अपीलांट/वादीगण कानूनन अधिकारी है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में स्टेट का जवाब प्राप्त किया गया। स्टेट के जवाब में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि अपीलांट के पिता मेरू खों पुत्र वादे खों को बतौर टीसी आवंटन थी। उक्त टीसी आवंटन का नवीनीकरण संवत् 2035 तक किया गया तदुपरान्त वादगत् भूमि का नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। वादगत् भूमि का टीसी से पुख्ता आवंटन नहीं करवाये जाने के कारण वादगत् भूमि का टीसी आवंटन स्वतः ही निरस्त हो गया। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी

भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। यदि वादगत् भूमि पर मौके पर अपीलांट काबिज होता तो उसके विरुद्ध धारा 22 के तहत कार्यवाही की जाती। चूंकि वादगत् भूमि मौके पर खाली है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि आराजीराज दर्ज की गई है।

(4) प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा हो। प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट के पिता को संवत् 2024 में टीसी आवंटन हुई थी, परन्तु उक्त टीसी आवंटन का संवत् 3025 के पश्चात् नवीनीकरण नहीं किया गया है ना ही अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के टीसी से पुख्ता आवंटन की कोई कार्यवाही आज दिनांक तक की गई है। वादगत् भूमि के नवीनीकरण व टीसी से पुख्ता की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप वादगत् भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज की गई थी। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांट/वादीगण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलांट/वादीगण यदि वादगत् भूमि पर अपने हक व हकूक मानते हैं तो उन्हें उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करनी चाहिए थी। अपीलांट/वादीगण द्वारा वादगत् भूमि आराजीराज किये जाने के विरुद्ध कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

(5) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादीगण का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि संवत् 2024 से अपीलांट/वादीगण के पिता के नाम से टीसी आवंटन होने के कारण खातेदारी हकों की धोषणा करवाने के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट आदि ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को उनका कोई कब्जा काश्त हो व अपीलांट/वादीगण के अभिकथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

(6) अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20-03-2013 उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर